देश में मुकदमों का फैसला

सीबीआई के कामकाज पर यह शीर्ष अदालत की कोई पहली टिप्पणी नहीं है। इसी अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि कर्तव्यपालन में भारी लापरवाही के कारण कोर्ट में केस फाइल करने में असामान्य देर होती है।

अर्जुन देव।।

सुप्रीम कोर्ट ने देश की प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई से यह बताने को कहा है कि उसके द्वारा दर्ज किए गए मामलों में कितने अभी लंबित हैं, वे कितने समय से लंबित हैं और कितने फीसदी मामले अपनी तार्किक परिणति तक पहुंचते हैं। शीर्ष अदालत ने यह निर्देश उस अपील की सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें एक मामले में सीबीआई द्वारा 542 दिनों की देरी की बात कही गई थी। कोर्ट ने ठीक ही कहा कि किसी भी मामले में सीबीआई का केस दर्ज करके जांच शुरू कर देना ही काफी नहीं होता। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि मामला अपनी तार्किक परिणति तक पहुंचे और दोषियों को वाजिब सजा मिले। हालांकि अदालत में सीबीआई की नुमाइंदगी कर रहे अडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि भारत जैसे देश में मुकदमों का फैसला आना कई कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए सक्सेस रेट को जांच एजेंसी के मूल्यांकन का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। मगर अदालत का कहना था कि जो पूरी दुनिया के स्तर पर पैमाना माना जाता है, सीबीआई के मामले में उसे लागू न करने का कोई कारण नहीं। बहरहाल, सीबीआई के कामकाज पर यह शीर्ष अदालत की कोई पहली टिप्पणी नहीं है। इसी अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि कर्तव्यपालन में भारी लापरवाही के कारण कोर्ट में केस फाइल करने में असामान्य देर होती है।

सीबीआई के कामकाज में सरकार के बेजा दखल देने और इस जांच एजेंसी का राजनीतिक इस्तेमाल किए जाने की बात भी काफी पहले से कही जाती रही है। 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक चर्चित मामले में सीबीआई को पिंजरे का तोता बता दिया था। आशय यह था कि जांच एजेंसी अपने मन से कुछ नहीं करती, अपने मालिक यानी सरकार की बात दोहराती रहती है। तब से सीबीआई को स्वायत्त बनाने की बातें तो बहुत हुईं, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पिछले महीने भी सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की जांच में देरी के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर केस में दम है तो आपको चार्जशीट फाइल करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो मामला खत्म होना चाहिए। बेवजह तलवार न लटकाए रखें।

साफ है कि ऐसे मामले जब तक लटके रहें संबंधित सांसदों, विधायकों पर एक अंकुश बना रहता है कि वे सरकार से पंगा न लें, उनके खिलाफ चल रहे मामलों में शिकंजा कसा जा सकता है। बहरहाल, टिप्पणियों और आलोचनाओं से ज्यादा जरूरी है सही हालात का पता चलना। तभी उनके कारणों पर विचार करके हालात को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ताजा निर्देश उस दिशा में एक ठोस कदम है। उम्मीद की जाए कि इससे न केवल सीबीआई के कामकाज का सही मूल्यांकन हो सकेगा बल्कि उसे बेहतर बनाने की भी राह खुलेगी।

किसान

अशोक वोहरा।

दोनों बैल चुपचाप बकरे की बातें सुनते रहे। जब वे शाम को खेतों से काम करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि किसान की पत्नी किसी कसाई से धन लेकर उसे वह बकरा बेच रही थी। दोनों बैलों की आंखों में आंसू भर आए। बेचारे कर भी क्या सकते थे। उनमें से एक धीमे स्वर में बोला– 'आह! तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था।' जिसके भाग्य में जैसा लिखा होता है, वैसा ही होता है। एक जंगल में एक सर्प रहता था। वह रोज चिड़ियों के अंडों, चूहों, मेंढकों एवं खरगोश जैसे छोटे–छोटे जानवरों को खाकर पेट भरता था। वह आलसी भी बहुत था। एक ही स्थान पर पड़े रहने के कारण कुछ ही दिनों में वह काफी मोटा हो गया। जैसे–जैसे वह ताकतवर होता गया, वैसे–वैसे उसका घमंड भी बढ़ता चला गया।

संपादकीय

प्रतिक्रिया न करना

मैं दुनिया में हर युवा व्यक्ति से विनती करता हूं– अभी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज मानव चेतना को ऊंचा उठाना है क्योंकि जिसे हम चेतना कह रहे हैं वह एक सीमित पहचान नहीं है, यह एक सीमाहीन पहचान है। अगर आप वाकई चिंतित हैं तो आपको समझना चाहिए कि यह एक जीवनभर का लक्ष्य है। अगर आप बस एक दिन के लिए दोषी महसूस करते हैं और कहीं जाकर नारेबाजी करते हैं या इसके बारे में ट्वीट करते हैं, उससे यह नहीं जाने वाला है। इस पैमाने की समस्या रातों–रात हल नहीं की जा सकती। अगर हम इसके लिए काम करना शुरू करें, तो शायद हम कुछ पीढ़ियों में एक समाधान ला सकते हैं। लोगों की एक पीढ़ी के रूप में, अगर युवा इन विभाजनों को खत्म करने का प्रयास नहीं करता, तो लड़ाइयां होंगी। अगर मेरी पहचान और आपकी पहचान बिलकुल अलग हैं, मैं आपको किनारे करने की चाह रखता हूं और अगर आप हटते नहीं हैं तो आपको दबाना एक मजबूत पहचान की भावना का स्वाभाविक परिणाम होगा। और जैसे–जैसे हम अधिक सक्षम और ताकतवर बनते हैं, तो मरने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। हमें समस्या के भड़कने के तुरंत बाद बस प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। इस समस्या को जड़ से हल करने के लिए हमें अपना जीवन लगा देने की जरूरत है।

हिंसा सड़कों पर नहीं है। हिंसा इंसान के दिमाग में है। आपने जो सीमित पहचानें बनाई हैं, उसमें इसका स्रोत है। अगर कोई किसी दूसरी चीज से संबंध रखता है और वे उससे सहमत नहीं होते जो आप कहते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाएगी।

बदला समाधान नहीं है

सद्गुरु।।

बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में जो हिंसा हो रही है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। घर गिरा दिए गए हैं, दुकानों को जला दिया गया है, मंदिरों को तोड़ा गया है और दुर्भाग्य से कुछ लोगों की जानें गई हैं। ये घटनाएं सिर्फ आज ही नहीं हो रही हैं। वे सालों से यदा कदा होती रही हैं। लेकिन इसके लिए बांगलादेश के पूरे देश को बहिष्कृत करना उचित नहीं होगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये घटनाएं कुछ खास जगहों पर हुई हैं, पूरे देश में नहीं। ये सिर्फ थोड़े से लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। इन चीजों के पीछे विभिन्न ताकतें हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें ठीक से पहचाना जाए, न कि पूरे देश को उसी रंग में दर्शाया जाए, क्योंकि इससे दो देशों के बीच बैरबढ़ेगी, जो किसी के भी हित में नहीं होगा।

सीमित पहचान ही समस्या का असली वजह है आप इस हिंसा को कैसे रोकेंगे? आप पुलिस, आर्मी को भेज सकते हैं। आप कुछ लोगों को गोली मार सकते हैं और इसे फिलहाल रोक सकते हैं। लेकिन वह लंबे दौर के लिए काम नहीं करेगा। इंसान एक दूसरे के साथ ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अलग–अलग चीजों से पहचान बनाई हुई है और हम यह भूल गए हैं कि हम इंसान पहले हैं। हम ये या वो धर्म बन गए हैं, ये या वो देश, ये या वो जाति

बन गए हैं दृ हर तरह की चीजें, सिवाय इंसान होने के, एक जीवन के सिवाय हर चीज बन गए हैं। हिंसा सड़कों पर नहीं है। हिंसा इंसान के दिमाग में है। आपने जो सीमित पहचानें बनाई हैं, उसमें इसका स्रोत है। अगर कोई किसी दूसरी चीज से संबंध रखता है और वे उससे सहमत नहीं होते जो आप कहते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। अगर आप जुबान से कठोर चीजें कह रहे हैं और अगर चीजें बेकाबू हो जाती हैं तो हाथ उठ जाएंगे। अगर हाथ काफी नहीं हैं तो डंडे खड़े हो जाएंगे। अगर डंडे काफी नहीं हैं तो तलवारें खड़ी हो जाएंगी। अगर वो भी काफी नहीं हैं तो बंदूकें आ जाएंगी।

एक बार जब आप पहचान पैदा करते हैं तो आपके सारे पहलू– आपकी बुद्धिमत्ता, भावनाएं, क्षमता, ताकत, हर चीज उस पहचान के लिए काम करती है। हमारी समस्याएं इसलिए आई हैं क्योंकि हमने इस धरती पर कभी मानव चेतना को बड़े पैमाने पर पोषित नहीं किया है। अगर आप उसमें निवेश करने के इच्छुक नहीं हैं, तो आप इससे अंतहीन तरीके से कष्ट सहेंगे।

लोग मुझ पर दार्शनिक बात करने का आरोप लगा सकते हैं। वे जानना चाहेंगे, 'हम उन लोगों के साथ क्या करें जिन्होंने इन लोगों को मारा है? क्या उन्हें नहीं मारा जाना चाहिए?' आइए इसे समझते हैंरू अभी, किसी से आकर आपके परिवार में किसी को मार दिया, तो इस खबर का चक्र चौबीस घंटे चलेगा, अगर ज्यादा लोग मारे गए हैं, तो ये कुछ दिन चलेगा। फिर इसके बारे में खबर भुला दी जाती है। लेकिन जिसने अपने किसी प्रियजन को खोया है, वे उसे न सिर्फ अपने जीवनभर नहीं भूलेंगे, बल्कि वे अपने बच्चों के दिल में गुस्से, नाराजगी, और घृणा के के बीज बोएंगे। तो जब उनके अपनद्द मरते हैं, तो वे उस चोट को ढोएंगे और यहां पर किसी को मार देंगे। फिर आप उस चोट को ढोते हैं और वहां पर किसी को मार देते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। मर्दानगी दिखाना जवाब नहीं है। अगर आप किसी को मार देते हैं तो आप किसी भी तरह समस्या को घटा नहीं रहे हैं, आप उसे बस बढ़ा रहे हैं। यह एक गहराई में बैठी हुई समस्या है कि हमने दुनिया को देश, धर्म, वंश, जाति, और संप्रदाय के रूप में बांट दिया है।

अष्टयोग-5049

	3		4	5		
2	30	7	31		34	2
1			3		7	
	28	6	31	6	39	3
4		1			5	7
3	30		32	7	34	
	5		6		2	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5048 का हल

2	3	6	4	1	7	5
7	30	2	25	2	34	4
4	5	1	3	6	7	2
6	28	5	35	3	39	6
1	2	4	6	7	5	3
5	30	3	42	5	34	7
3	5	7	6	4	2	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

ब्रिटिश राज की गहरी छाप

मोहन। गिनती में असंख्य और विस्तृत होने के साथ इन कानूनों की भाषा पर जटिल, उलझी हुई और अस्पष्ट होने का भी आरोप लगता रहा है जिसके कारण अदालतों को टिप्पणी देकर कानून की व्याख्या करनी पड़ती है। हमारे देश के कानूनों पर प्राचीन मनुस्मृति, मुस्लिम शासन और ब्रिटिश राज की गहरी छाप देखी जा सकती है। मनुस्मृति के नियम संस्कृतनिष्ठ, पुरुषवादी, महिला– विरोधी तथा जातिगत पक्षपात के कारण पहले से ही जटिल माने जाते हैं। ऊपर से मुस्लिम शासन ने उर्दू– फारसी के शब्द भरकर और अंग्रेजी शासन ने ग्रीक दृ लैटिन के जटिल शब्दों से भरी लच्छेदार भाषा की जलेबी परोस दी है। कुल मिलाकर इन सब कारकों ने भारत की न्यायिक प्रक्रिया को इतना जटिल, कठिन, लम्बा और निराशाजनक बना दिया है कि न्याय के मंदिर का मुसाफिर वर्षों तक यात्रा करने के बाद भी अपनी मंजिल तक पहुँच पाने में अक्सर या तो थककर निढाल हो जाता है या दीन– हीन और कंगाल हो जाता है। कानून का डर अच्छी बात है मगर न्याय न मिलने या बहुत देर होने की आशंका नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।